

(Authorized English Version)

THE RAJASTHAN FINANCE BILL, 2010

(to be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 and Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2010-11 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.— This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2010.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.— In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3 to 10 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

3. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003.— In clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, for the existing expression “rupees five lacs”, the expression “rupees ten lacs” shall be substituted.

4. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 4 of 2003.— In sub-section (4) of section 16 of the principal Act,-

- (i) in the existing clause (g), for the existing expression “invoices”, the expression “invoices ;or” shall be substituted.
- (ii) after the existing clause (g), so amended, the following new clause shall be added, namely:-
 - “(h) a dealer has failed to furnish information, statement or return as required by Commissioner under sub-section (2) of section 91 within the period specified thereunder-”.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–

After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 20 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(2A) Notwithstanding anything contained in this Act, but subject to the provisions of sub-section (2), where a registered dealer sells goods to a department of the State Government or to a public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the State Government or a co-operative society having contribution of State Government in its share capital or a municipality or a Panchayati Raj Institution at district and block level or any other local authority or statutory body constituted by or under a law of the State Legislature, such department, public sector undertaking, corporation, company, co-operative society, municipality, Panchayati Raj institution, local authority or statutory body, as the case may be, shall deduct from the amount payable to the selling dealer an amount equal to tax payable by such dealer on such goods and shall deposit or credit the same in the Government account, in the manner and in the time as may be prescribed.”.

6. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–

For the existing sub-section (1) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“(1) Every registered dealer who has filed annual return or audit report for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of annual return filed under section 21 or, as the case may be, the audit report filed under section 73.”.

7. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 4 of 2003.–

In section 24 of the principal Act,-

- (i) for the existing sub-section (4), the following shall be substituted, namely:-

“(4) Where a dealer, other than those who have opted for quarterly

assessment under sub-section (2) of section 23, does not file annual return under section 21, or audit report under section 73, within the prescribed time, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, assess the dealer on the basis of his books of accounts and if he fails to produce the same, to the best of his judgement."

(ii) after the sub-section (4), so substituted, and before the existing sub-section (5), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(4A) Where a dealer who has opted for quarterly assessment under sub-section (2) of section 23, does not file return for the quarter within the prescribed period under section 21, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, assess the dealer on the basis of his books of accounts and if he fails to produce the same, to the best of his judgement for the quarter."

8. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 4 of 2003.— In sub-section (4) of section 37 of the principal Act, for the existing expression "Commissioner", the expression "Commissioner or any other officer authorised by him in this behalf", shall be substituted.

9. Insertion of section 51A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.— After the existing section 51 and before the existing section 52 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"51A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable for any period by any class of dealers, subject to such terms and conditions as may be specified in the notification."

10. Amendment of section 82, Rajasthan Act No. 4 of 2003.— In sub-section (3) of section 82 of the principal Act, for the existing expression "remaining demand over and above the admitted tax or other amounts", the expression "disputed tax amount" shall be substituted.

CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT,
1962

11. Insertion of section 3C, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- After the existing section 3B and before section 4 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the following new section shall be inserted, namely: -

"3C. Levy of urban cess.- (1) There shall be levied for, and paid to, the State Government on the energy consumed by a consumer or by a person other than a supplier generating energy for his own use or consumption, a cess to be called "urban cess" at the rate of ten paise per unit:

Provided that no cess under this section shall be levied on the energy,-

- (a) consumed by the Government of India;
- (b) consumed in the construction, maintenance or operation of any Railway by the Government of India;
- (c) consumed by a cultivator in agriculture operations;
- (d) consumed in areas outside the municipal area in the State;
- (e) consumed in domestic category in municipal area where consumption does not exceed 100 units per month;
- (f) consumed by the following classes of institutions, namely:-
 - (i) hospitals or dispensaries, which are not maintained for private gain,
 - (ii) recognized educational institutions, which are not maintained for private gain,
 - (iii) places of public worship,subject to the condition that the exemption under this sub-clause shall not be applicable to energy consumed in buildings or part of buildings, used for commercial purposes;
- (g) generated at voltage not exceeding 100 volts.

(2) The provisions of this Act or the rules made thereunder shall, so far as may be, apply in relation to levy, payment, interest, computation and recovery of the cess payable under sub-section (1) as they apply to levy, payment, interest, computation and recovery of electricity duty payable under this Act.

(3) The cess collected under this section shall be utilized for the purpose of providing basic amenities like street lighting, sanitation, maintenance of roads and energy conservation in municipal areas.

Explanation.- For the purposes of this section "municipal area" means the municipal area as defined in clause (xxxix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Provisions relating to dealers liable to tax under the Act have been incorporated in section 3. Dealers who are neither importer of goods from other States nor are manufacturers are required to be registered if their annual turnover exceeds rupees five lacs. With a view to provide relief to the small dealers, it is proposed to raise the existing limit from exceeding rupees five lacs to exceeding rupee ten lacs.

With a view to update the basic data of the registered dealers and to ensure that the dealers, who are not carrying out any business activities, shall be de-registered, it is proposed to amend sub-section (4) of section 16 of the Act, to enable cancellation of registration of such non functional dealers. For this a new clause (h) is proposed to be added in the above referred sub-section, so that the dealer who fails to furnish information required by Commissioner under section sub-section (2) of section 91 of the Act, his registration certificate may be cancelled by the assessing authority or the authority competent to grant registration after affording opportunity of hearing to such registered dealers.

It has been a consistent demand of trade and industry that the existing system of tax deposited by the selling dealer should be modified in a manner so that in the case of purchases made by State Government or public sector undertaking, corporation or company owned or controlled by the State Government or a co-operative society having contribution of State Government in its share capital or a municipality or a Panchayati Raj Institution at district and block level or any other local authority or statutory body constituted by or under a law of the State Legislature, the purchaser should be made responsible to deposit tax being so levied. It has been submitted by the dealers that the payments are inordinately delayed on sales to such departments/ institutions, still the dealers are generally required to deposit tax amount in the immediately succeeding month of such sales, which results in liquidity problems. To resolve the issue, it is proposed to insert a new sub-section (2A) in section 20 of the Act, wherein the purchaser would be held responsible for payment of tax amount payable by the selling dealer on such sales.

The self assessment concept based on the accepting of the returns submitted by the dealers is not applicable in cases where the dealer fails to file all the returns (including any of the quarterly returns) in the prescribed period. Delay of a few days in filing of quarterly returns has kept number of dealers outside the purview of self assessment. To enlarge the scope of self assessment, it is proposed to amend section 23 of the Act by way of substitution of sub-section (1), so that in case a dealer has filed annual return or audit report for the year within the prescribed time, he shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of such annual return or audit report.

The existing provisions of sub-section (4) of section 24 provides that in case a dealer fails to file all or any of the returns (including quarterly returns) within the prescribed period under section 21, he cannot be self assessed but be subjected to assessment on the basis of books of accounts and if fails to produce the same, he shall be assessed on best judgment basis. A large number of dealers are being excluded from the purview of self assessment solely on the ground that any of their return (including quarterly returns) has been filed after the prescribed period. To maximize coverage of dealers in the self assessment ambit, and in continuance of the amendment in sub-section (1) of section 23 of the Act, it is proposed to substitute the existing sub-section (4) of section 24. For the dealers opting for quarterly assessments, a new sub-section (4A) is proposed to be inserted so that in case such a dealer fails to file quarterly return within the prescribed time, he can be assessed on the basis of books of accounts and in their absence on best judgment basis.

With a view to comply with the limitation provisions for disposal of tax evasion or avoidance cases, it is proposed that in addition to Commissioner, the officer authorized by him may be empowered to transfer such cases from one assessing authority to another assessing authority. At present every such case is required to be transferred only by Commissioner or Additional Commissioner. To achieve this objective sub-section (4) of section 37, is proposed to be amended.

A dealer may submit application for waiver of interest and/or penalty amount before the Commissioner having been empowered by section 51 of the Act to reduce or waive such amount keeping in view the financial and genuine hardship being caused to such dealer. Circumstances may warrant that a general waiver or reduction of penalty and interest amount may be made for a class of dealers. Keeping this objective in view, it is proposed to insert a new section 51A in the Act to empower the State Government to reduce or waive the outstanding demand of penalty and interest for a class of dealers.

As per sub-section (3) of section 82 of the Act, a dealer aggrieved against any order can file first appeal before Deputy Commissioner (Appeals). However, the appeal would not be entertained unless it is accompanied by a proof of the payment of tax and other amounts admitted by the appellant to be due from him and in case of an appeal from an *ex-parte* assessment order, five percent of, and in other cases ten percent of the remaining demand over and above the admitted tax or other amounts. The dealers are making consistent demand that in cases of arbitrary creation of demands, the dealers are put to unprecedented hardship and even their right to appeal is denied as they may fail to deposit such amount. In view of the genuine hardship being faced by the dealers, it is proposed to amend sub-section (3) of section 82 of the Act in a manner so that the dealer may be required to deposit five or ten percent of the disputed tax amount, as the case may be.

RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

The State is witnessing rapid urbanization in recent years. However, the urban local bodies responsible for urban development do not have sufficient financial resources to provide civic amenities like payment of bills for street lighting, sanitation or maintenance of roads. In order to strengthen the financial position of the urban local bodies to discharge these responsibilities, it is proposed to levy an urban cess equal to ten paise per unit from urban consumers having monthly consumption of electricity exceeding 100 units. Further, the importance of energy conservation measures in this regard cannot be over emphasized

The cess so collected shall be used for the purpose of providing basic amenities like street lighting, sanitation, maintenance of roads and for energy conservation in urban areas. To achieve these objectives, section 3C is being inserted in the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 5 of the Bill, which seeks to insert a new sub-section (2A) in section 20 of the Rajasthan Value Added Tax Act 2003, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner and the time in which tax deducted under that sub-section shall be deposited in the Government account.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN VALUE
ADDED TAX ACT, 2003**

XX

XX

XX

3. Incidence of tax. – (1) Subject to the provisions of this Act, every dealer–

- (a) who is an importer of goods; or
- (b) who is a manufacturer of goods and whose annual turnover exceeds rupees two lacs; or
- (c) whose annual turnover exceeds rupees five lacs,
shall be liable to pay tax under this Act.

(2) to (6) XX

XX

XX

XX

XX

XX

16. Amendment and cancellation of registration certificate. –

(1) to (3)

XX

XX

XX

(4) Where–

- (a) any business in respect of which a certificate of registration has been granted to a dealer under this Act, is discontinued permanently; or
- (b) in the case of transfer of business by a dealer, the transferee already holds a certificate of registration under this Act; or
- (c) a dealer has ceased to be required to be registered and to pay tax under this Act; or
- (d) a dealer has obtained the certificate of registration by misrepresentation of facts or by fraud; or
- (e) a dealer has obtained a certificate of registration against the provisions of this Act; or
- (f) a dealer has failed to furnish security within the period specified under section 15 and a period of ninety days has elapsed ; or
- (g) a dealer issues false or forged VAT invoices

the assessing authority or the authority competent to grant registration may, after affording such dealer an opportunity of being heard and after recording reasons in writing, cancel the certificate of registration from such date as he may deem appropriate.

(5) to (6) XX XX XX
XX XX XX

23. Self Assessment.- (1) Every registered dealer who has filed all the returns for the year within the prescribed time shall, subject to the provisions of section 24, be deemed to have been assessed for that year on the basis of such returns filed under section 21.

(2) to (3) XX XX XX
XX XX XX

24. Assessment.- (1) to (3) XX XX XX

(4) Where the dealer does not file any or all the return(s) within the prescribed period under section 21, the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner shall, assess the dealer on the basis of his books of accounts and if he fails to produce the same, to the best of his judgment for the year or the quarter, as the case may be.

(5) to (6) XX XX XX
XX XX XX

37. Transfer of cases. – (1) to (3) XX XX

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3), the Commissioner may, at any time, for administrative reasons, transfer any case or cases from one officer or authority to other officer or authority, without issuing any notice to the dealer or dealers concerned.

Explanation. – The word "case" in relation to any dealer under this section shall mean any proceeding pending under this Act on the date of the order made under sub-section (2) or which may have been completed on or before such date or which may commence after such date.

XX XX XX

82. Appeal to the appellate authority. – (1) to (2) XX XX

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) of section 38, no appeal under this section shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax and other amounts admitted by the appellant to be due from him or of such instalment thereof as might have become payable and in case of an appeal from an *ex-parte* assessment order, five percent of, and in other cases ten percent of the remaining demand over and above the admitted tax or other amounts.

(4) to (8) XX XX XX
XX XX XX

राजस्थान वित्त विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3 से 10 तक के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (छ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बीजक जारी करता है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीजक जारी करता है; या" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-
"(ज) कोई व्यवहारी धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित सूचना, कथन या विवरणी इसके अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत करने में विफल हो गया है,"।

5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) के पूर्व

निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी, या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल का विक्रय करता है, वहां ऐसा विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कंपनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, कानूनी निकाय विक्रय करने वाले व्यवहारी को संदेय रकम में से ऐसे व्यवहारी द्वारा ऐसे माल पर संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय में, जो विहित किया जाये, सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा।"

6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर-भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर या, यथास्थिति, धारा 73 के अधीन फाइल की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।"

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) जहां धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाले व्यवहारियों से भिन्न कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी, या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर-भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।"

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (5) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(4क) जहां धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी, या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर-भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।"।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51 के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"51क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो अधिसूचना में

विनिर्दिष्ट की जायें, व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 82 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग" के स्थान पर अभिव्यक्ति ",विवादित कर की रकम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

11. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का अन्तःस्थापन.- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं.12) की विद्यमान धारा 3ख के पश्चात् और धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"3ग. नगरीय उपकर का उद्ग्रहण.- (1) किसी उपभोक्ता द्वारा या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से "नगरीय उपकर" के नाम से उपकर राज्य सरकार के लिए उद्गृहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई उपकर ऐसी ऊर्जा पर उद्

गृहीत नहीं किया जायेगा,-

- (क) जिसका भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाये;
- (ख) जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी रेलवे के संनिर्माण, रख-रखाव या प्रचालन में उपभोग किया जाये;
- (ग) जिसका किसी खेतिहर द्वारा कृषि कार्यों में उपभोग किया जाये;
- (घ) जिसका राज्य में के नगरपालिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में उपभोग किया जाये;
- (ङ) जिसका ऐसे नगरपालिक क्षेत्र में के घरेलू प्रवर्ग में उपभोग किया जाये, जहां उपभोग 100 यूनिट प्रति मास से अधिक न हो;
- (च) जिसका निम्नलिखित वर्गों की संस्थाओं द्वारा उपभोग किया जाये, अर्थात्:-
 - (i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते,
 - (ii) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं जो निजी लाभ के लिए नहीं चलायी जातीं,
 - (iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,

इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त ऊर्जा पर इस उप-खण्ड के अधीन छूट लागू नहीं होगी;

(छ) जिसका उत्पादन 100 वोल्ट से अनधिक के वोल्टेज पर किया जाता हो।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन संगृहीत उपकर नगरपालिक क्षेत्रों में आधारभूत सुख-सुविधाएं जैसे मार्गों पर प्रकाश, स्वच्छता, सड़कों का रख-रखाव और ऊर्जा संरक्षण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए "नगरपालिक क्षेत्र" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) की धारा 2 के खण्ड (XXXIX) में यथा परिभाषित नगरपालिक क्षेत्र अभिप्रेत है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

अधिनियम के अधीन कर के दायी व्यवहारियों से संबंधित उपबंध धारा 3 में सम्मिलित किये गये हैं। ऐसे व्यवहारियों का, जो न तो अन्य राज्यों से माल के आयातकर्ता हैं और न ही विनिर्माता हैं, रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है यदि उनका वार्षिक पण्यवर्त पांच लाख रूपये से अधिक है। छोटे व्यवहारियों को राहत देने की दृष्टि से पांच लाख रूपये से अधिक की विद्यमान सीमा को दस लाख रूपये से अधिक तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के आधारभूत डाटा को अद्यतन करने और यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कि ऐसे व्यवहारी जो कारबार क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, उन्हें डी-रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा, ऐसे अक्रियाशील व्यवहारियों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने में समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपर निर्दिष्ट उप-धारा में एक नया खण्ड (ज) जोड़ा जाना प्रस्तावित है ताकि ऐसा व्यवहारी जो अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सके।

व्यापार और उद्योग की यह बराबर मांग रही है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा जमा कराये गये कर की विद्यमान पद्धति को ऐसी रीति से उपांतरित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के किसी

विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी निकाय द्वारा किये गये क्रयों के मामले में इस प्रकार उद्गृहीत किये जा रहे कर को जमा कराने के लिए क्रेता को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। व्यवहारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे विभागों/संस्थाओं को विक्रयों पर संदाय में अत्यधिक रूप से विलम्ब किया जाता है फिर भी व्यवहारियों से ऐसे विक्रयों के ठीक पश्चात् के मास में कर की रकम जमा कराना अपेक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप नकदी की समस्या हो जाती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए अधिनियम की धारा 20 में एक नयी उप-धारा (2क) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है जिसमें ऐसे विक्रयों पर विक्रेता व्यवहारी द्वारा संदेय कर की रकम के संदाय के लिए क्रेता को उत्तरदायी बनाया जायेगा।

व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियां स्वीकार करने पर आधारित स्वनिर्धारण की अवधारणा ऐसे मामलों में लागू नहीं होती जहां व्यवहारी विहित कालावधि में सभी विवरणियां (तिमाही विवरणियों में से किसी को सम्मिलित करते हुए) फाइल करने में विफल रहता है। तिमाही विवरणियां फाइल करने में कुछ दिनों के विलम्ब के कारण अनेक व्यवहारी स्वनिर्धारण के क्षेत्र से बाहर रह गये हैं। स्वनिर्धारण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 23 को, उसकी उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करते हुए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यदि किसी व्यवहारी ने उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर

फाइल कर दी है तो उसे धारा 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जायेगा।

धारा 24 की उप-धारा (4) के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि यदि कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर सभी विवरणियां या उनमें से कोई भी विवरणी (तिमाही विवरणियों को सम्मिलित करते हुए) फाइल करने में विफल रहता है तो उसे स्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु लेखापुस्तकों के आधार पर निर्धारण के अधीन रखा जा सकता है और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहे तो उसे सर्वोत्तम निर्णय आधार पर निर्धारित किया जायेगा। बड़ी संख्या में व्यवहारियों को स्वनिर्धारण के कार्यक्षेत्र से केवल इस आधार पर अपवर्जित किया जा रहा है कि उनकी कोई विवरणी (तिमाही विवरणी को सम्मिलित करते हुए) विहित कालावधि के पश्चात् फाइल की गयी है। व्यवहारियों को स्वनिर्धारण की परिधि में अधिकतम समाविष्ट करने के लिए और अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) में संशोधन की निरंतरता में धारा 24 की विद्यमान उप-धारा (4) प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है। तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाले व्यवहारियों के लिए एक नयी उप-धारा (4क) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है ताकि यदि ऐसा कोई व्यवहारी विहित समय के भीतर-भीतर तिमाही विवरणी फाइल करने में विफल रहे तो उसे लेखापुस्तकों के आधार पर और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारित किया जा सके।

कर अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के निस्तारण के लिए परिसीमा उपबंधों के अनुपालन की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि ऐसे मामले एक निर्धारण प्राधिकारी से दूसरे निर्धारण प्राधिकारी को

अंतरित करने के लिए आयुक्त के अतिरिक्त, उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सशक्त किया जाये। वर्तमान में ऐसा प्रत्येक मामला केवल आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धारा 37 की उप-धारा (4) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

कोई व्यवहारी ब्याज और/या शास्ति की रकम के अधित्यजन के लिए आवेदन आयुक्त को, जिसे अधिनियम की धारा 51 के द्वारा ऐसे व्यवहारी को हुई वित्तीय और वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऐसी रकम को कम करने या अधित्यक्त करने के लिए सशक्त किया गया है, प्रस्तुत कर सकेगा। परिस्थितियों की ऐसी अपेक्षा हो सकती है कि व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए शास्ति या ब्याज की रकम का सामान्य अधित्यजन या कमी की जा सकती है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए शास्ति और ब्याज की बकाया मांग को कम करने या उसका अधित्यजन करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम में एक नयी धारा 51क अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) के अनुसार किसी आदेश से व्यथित कोई व्यवहारी उप आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रथम अपील फाइल कर सकता है तथापि, कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ कर और अन्य रकम, जो अपीलार्थी उससे शोध्य होना स्वीकार करे और किसी एकपक्षीय निर्धारण आदेश से अपील के मामले में, स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग का पांच प्रतिशत और अन्य मामलों में दस प्रतिशत जमा कर दिये जाने का सबूत संलग्न न हो। व्यवहारी बराबर यह मांग कर रहे हैं कि मनमानी मांगें करने के

मामलों में व्यवहारियों को अभूतपूर्व कठिनाई होती है और यहां तक कि उनके अपील करने के अधिकार से इंकार कर दिया जाता है क्योंकि वे ऐसी रकम जमा कराने में विफल हो सकते हैं। व्यवहारियों द्वारा सामना की जा रही इस वास्तविक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) को ऐसी रीति से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि व्यवहारी से विवादित कर की रकम का पांच या, यथास्थिति, दस प्रतिशत जमा कराना अपेक्षित हो।

राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962

राज्य में हाल के वर्षों में तीव्र नगरीकरण हुआ है। तथापि, नगरीय विकास के लिए उत्तरदायी नगरीय स्थानीय निकायों के पास नागरिक सुख-सुविधाएं, जैसे मार्गों पर प्रकाश हेतु बिलों का संदाय करने, स्वच्छता या सड़कों के रख-रखाव हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 100 यूनिट प्रतिमास से अधिक विद्युत् का उपभोग करने वाले नगरीय उपभोक्ताओं से दस पैसे प्रति यूनिट की दर से नगरीय उपकर का उद्ग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण अध्यापार्यों की महत्ता पर इस संबंध में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता।

इस प्रकार संगृहीत उपकर नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुख-सुविधाएं, जैसे मार्गों पर प्रकाश, स्वच्छता, सड़कों का रख-रखाव, उपलब्ध कराने और ऊर्जा संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस अधिनियम में धारा 3ग अन्तःस्थापित की जा रही है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

विधानसभा अतिआवश्यक
अतिगोपनीय

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक:प.12(22)वित्त/कर/2010

दिनांक: 9.3.2010

सचिव,
राजस्थान विधानसभा,
जयपुर।

विषय: राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 के संबंध में
राज्यपाल महोदया की अनुशंसा।

महोदय,

राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित और प्रचालित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

भवदीय,

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 20 में नयी उप-धारा (2क) अन्तःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को वह रीति और समय विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिसमें उस उप-धारा के अधीन कटौती किये गये कर को सरकारी खाते में निक्षिप्त किया जायेगा।

प्रस्तावित विधान सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से लिये
गये उद्धरण

XX

XX

XX

3. कर का भार.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी-

(क) जो माल का आयातकर्ता है; या

(ख) जो माल का विनिर्माता है और जिसका वार्षिक पण्यवर्त दो लाख रुपये से अधिक है; या

(ग) जिसका वार्षिक पण्यवर्त पांच लाख रुपये से अधिक है,-

इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी होगा।

(2) से (3) XX

XX

XX

XX

XX

XX

16. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन या रद्दकरण.-

(1) से (3)

XX

XX

XX

(4) जहां-

(क) कोई भी ऐसा कारबार, जिसके संबंध में कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी व्यवहारी को इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया है, स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया हो; या

(ख) किसी व्यवहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती पहले से इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारित करता हो; या

(ग) किसी व्यवहारी का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए और कर संदत्त करने के लिए

24. निर्धारण.- (1) से (3) xx xx xx

(4) जहां व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर कोई या समस्त विवरणियां फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो उस वर्ष या, यथास्थिति, तिमाही के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(5) से (6) xx xx xx
xx xx xx

37. मामलों का अन्तरण.- (1) से (3) xx xx
xx

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त, किसी भी समय, प्रशासनिक कारणों से, कोई भी मामला या मामले संबंधित व्यवहारी या व्यवहारियों को कोई भी नोटिस दिये बिना, एक अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन किसी भी व्यवहारी के संबंध में शब्द "मामला" से ऐसी कोई भी कार्यवाही अभिप्रेत होगी जो उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश की तारीख को अधिनियम के अधीन लंबित हो या जो ऐसी तारीख को या उसके पूर्व पूरी हो गयी होती या जो ऐसी तारीख के पश्चात् प्रारम्भ हो।

xx xx xx

82. अपील प्राधिकारी को अपील.- (1) से (2) xx xx
xx

(3) धारा 38 की उप-धारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस धारा के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ, कर और अन्य रकम, जो अपीलार्थी उससे शोध्द्य होना स्वीकार करे या उसकी ऐसी किस्त, जो संदेय हो गयी हो और किसी एकपक्षीय निर्धारण आदेश से अपील के मामले में स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग का पांच प्रतिशत और अन्य मामलों में दस प्रतिशत के संदाय का समाधानप्रद सबूत न हो।

(4) से (8) xx

xx

xx

xx

xx

xx